

परिशिष्ट अ

विधानसभा प्रश्न क्र. 1523 तारकित सब जनवरी 2026
(नगर पालिका बालाघाट में विभिन्न योजनाओं की जानकारी)

क्र.	योजना का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि लाख में	संविदाकार/कर्म का नाम	कार्य स्वीकृत अनुसार किये जा रहे हैं अथवा नहीं	डीपीआर में परिवर्तन हेतु अपिकृत अधिकारी	कार्य में स्थल परिवर्तन अथवा संशोधन/परिवर्तन के पश्चात तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गई अथवा नहीं	कार्य में स्थल परिवर्तन अथवा संशोधन/परिवर्तन के पश्चात निविदा आमंत्रित की गई अथवा नहीं	यदि नहीं तो क्या	कनिष्ठ क्र. 08 एवं 09 स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है तो दोषी अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम एवं विवरण	परियोजनाओं के प्राकल्पन पुनरीक्षित करने के पूर्व भुगतान की गई राशि	परियोजनाओं के प्राकल्पन पुनरीक्षित करने के बाद भुगतान की गई राशि लाख में	प्रश्न सं. [क. 1523	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	मुख्यमंत्री शहरी अपासंरचना विकास योजना चतुर्थ चरण	मुख्यमंत्री शहरी अपासंरचना विकास योजना चतुर्थ चरण अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्य	499.99	मेसर्स प्रतीक शर्मा बालाघाट	हैं	पी.आई.सी.	हैं	नहीं	स्वीकृत मूल कार्य की प्रवृत्ति में परिवर्तन न होने से नवीन निविदा की आवश्यकता नहीं है	निरंक	(1) 90,47,065 (2) 1,83,49,866 (3) 1,14,23,605	(1) 25.10.2023 (2) 30.10.2024 (3) 21.02.2025 (4) 18.11.2025	(4) 1,14,23,605	15
2	कायाकल्प 1	सीसी रोड का बेरिय कोट निर्माण कार्य	289.11	मेसर्स जे.पी.इंफा स्ट्रक्चर प्रो.सुभय वैद्य	हैं	पी.आई.सी.	हैं	नहीं	स्वीकृत मूल कार्य की प्रवृत्ति में परिवर्तन न होने से नवीन निविदा की आवश्यकता नहीं है	निरंक	(1) 44,27,200 (2) 38,81,843 (3) 35,57,031 (4) 47,22,682 (5) 09,33,177	(1) 25.10.2023 (2) 11.12.2023 (3) 13.03.2023 (4) 29.07.2024 (5) 29.07.2024	(6) 57,59,961 (7) 02,43,676	(6) 11.02.2025 (7) 06.06.2025
3	कायाकल्प 2	बीटी एवं सीसी रोड निर्माण कार्य	209	मेसर्स अब्दुल राजिक शेख बालाघाट	हैं	पी.आई.सी.	हैं	नहीं	स्वीकृत मूल कार्य की प्रवृत्ति में परिवर्तन न होने से नवीन निविदा की आवश्यकता नहीं है	निरंक	(1) 14,49,371 (2) 19,68,062	(1) 30.12.2024 (2) 20.02.2025	(3) 84,29,613 (4) 54,97,597	(3) 03.06.2025 (4) 16.09.2025
4	अमृत 2	तालाब उन्नयन कार्य	164.78	मे. ओम श्री में कन्स्ट्रक्शन	हैं	पी.आई.सी.	हैं	नहीं	स्वीकृत मूल कार्य की प्रवृत्ति में परिवर्तन न होने से नवीन निविदा की आवश्यकता नहीं है	निरंक	(1) 10,55,733 (2) 23,21,686 (3) 24,47,884 (4) 24,54,073 (5) 36,42,899	(1) 29/08/2024 (2) 29/11/2024 (3) 23/01/2025 (4) 06/08/2025 (5) 27/10/2025	निरंक	निरंक
		हरित क्षेत्र निर्माण कार्य	85.64	मॉ शारदा कन्स्ट्रक्शन	हैं	पी.आई.सी.	हैं	नहीं	स्वीकृत मूल कार्य की प्रवृत्ति में परिवर्तन न होने से नवीन निविदा की आवश्यकता नहीं है	निरंक	(1) 7,08,938 (2) 4,49,851 (3) 15,66,349 (4) 6,60,296 (5) 8,01,785	(1) 12.09.2024 (2) 28/11/2024 (3) 23/01/2025 (4) 06/08/2025 (5) 27/10/2025	निरंक	निरंक
		जल प्रदाय कार्य	826.92	जे.एस.के. कन्स्ट्रक्शन	हैं	पी.आई.सी.	हैं	निरंक	स्वीकृत मूल कार्य की प्रवृत्ति में परिवर्तन न होने से नवीन निविदा की आवश्यकता नहीं है	निरंक			निरंक	निरंक

मुख्य सारपासिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद बालाघाट

विधान सभा
नगरपालिका
विभाग एवं
कार्य

परिशिष्ट ब'

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय

//आदेश//


क्र. 3336/2/3/9/0001/2023/18-3 :: राज्य शासन द्वारा आदेश क्रमांक 1379/2/3/9/0001/2023/18-3, दिनांक 31.03.2023 द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका (मेयर-इन-काउंसिल/प्रेसीडेन्ट-इन-काउंसिल के कामकाज का संचालन तथा अधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य) नियम 1998 के नियम 5 (i) (ii) के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कतिपय योजनाओं के क्रियान्वयन को सुगम बनाने के उद्देश्य से परिषद की समस्त वित्तीय शक्तियां मेयर-इन-काउंसिल/प्रेसीडेन्ट-इन-काउंसिल में वेष्टित की गई है।

भोपाल, दिनांक 27/09/2023

उक्त आदेश को अधिकमित करते हुए राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम (लेखा एवं वित्त) नियम-2018 के नियम 251 एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका (लेखा एवं वित्त) नियम-2018 के नियम 239 (यथा संशोधित दिनांक 22.08.2023) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा वित्त पोषित प्रचलित योजनाएं जैसे:- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत योजना), अमृत योजना 2.0, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG), राज्य आपदा शमन मद (एसडीएमएफ), मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना, मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना, कायाकल्प अभियान के साथ ही भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा वित्त पोषित भावी योजनाओं के क्रियान्वयन को सुगम बनाने के लिये नगर पालिका निगम/नगर पालिका परिषद/नगर परिषद की प्रशासकीय एवं वित्तीय शक्तियां एतद् द्वारा प्रसिडेंट-इन-काउंसिल/मेयर-इन-काउंसिल में वेष्टित की जाती हैं।


अनुराग जायसवाल
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


27-09
(आर.के.कार्तिकेय)

उपसचिव


मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

पृ. क्र. 3337/2/3/9/0001/2023/18-3
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 27/09/2023

1. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश।
5. समस्त आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका निगम/नगर पालिका परिषद, मध्यप्रदेश।
6. समस्त संभागीय अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश।
7. आर्डर बुक।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


27-09
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन